भूमिका

भारत में प्रेस ने जनमत तैयार करने और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों की ऊर्जाओं को एकजुट करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। इसीलिए आजादी के तुरंत बाद स्वतंत्र भारत की सरकार ने न्यायमूर्ति जी.एस. राजाध्यक्ष के नेतृत्व में पहले प्रेस आयोग का गठन किया। तब से भारत में प्रेस का चहुंमुखी विकास हुआ है। आज भारत का प्रेस देश के युवा लोकतंत्र के सामूहिक विवेक के प्रहरी के रूप में राष्ट्र के शासन संचालन में मदद कर रहा है।

आरएनआई का संक्षिप्त इतिहास

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है और **प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867** की धारा 19 (क) के अंतर्गत एक सांविधिक कार्यालय है।

ब्रिटिश काल में इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देश में प्रकाशित पुस्तकों और प्रकाशनों का अभिलेख रखना था। तब से इस अधिनियम में 22 बार (स्वतंत्रता से पहले और बाद में बराबर संख्या में) संशोधन हो चुके हैं।

1956 तक भारत में प्रकाशनों के पंजीयन के लिए कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं था। पंजीयन संबंधी रिकॉर्ड संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अपने कार्यालय में रखते थे। पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप आरएनआई कार्यालय की स्थापना की गई। आयोग ने भारत सरकार को 1954 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में एक ऐसी सांविधिक संस्था के गठन का सुझाव दिया था जो भारत में प्रेस के बारे में विश्वसनीय आंकड़े संकलित करने के लिए उत्तरदायी हो। इसकी वजह से भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय 1956 में अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। 2018 में लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सूचना भवन के अपने मौजूदा स्थान में आने से पहले इस कार्यालय ने दिल्ली में कई स्थानों से कार्य किया। 1977 तक शिमला में भी आरएनआई का क्षेत्रीय कार्यालय था जो प्रेस के पंजीयन से संबंधित कुछ कार्य देखता था जिसे बाद में बंद कर दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1990 में आरएनआई ने मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया। नौवीं योजना में भोपाल और गुवाहाटी में दो और कार्यालय खोले गये। लेकिन 2016 में समेकन की प्रक्रिया के तहत आरएनआई के पांचों क्षेत्रीय कार्यालय बंद कर दिये गये और उनके कुछ कार्य संबंधित स्थानों में पत्र सूचना कार्यालय को स्थानांतरित कर दिये गये।

आरएनआई के कार्य

आरएनआई के दायित्वों और कार्यों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में रखा जा सकता है :

(1) सांविधिक और (2) गैर–सांविधिक। लेकिन समय के साथ–साथ आरएनआई के पास कई अन्य कार्य और जिम्मेदारियां भी आ गयी हैं।

(1) सांविधिक कार्य :

- आरएनआई में पंजीकृत और प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों की पंजिका यानी रजिस्टर का संकलन व रखरखाव;
- पीआरबी अधिनियम की धारा 19(ग) के अनुसार वैध घोषणा से प्रकाशित समाचारपत्रों को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करना;
- पीआरबी अधिनियम की धारा 19(घ) के अंतर्गत स्वामित्व और प्रसार संख्या जैसे ब्योरे के साथ समाचारपत्रों के प्रकाशकों द्वारा भेजे गए विवरणों की प्रस्तुति सुनिश्चित करना;
- अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तावित शीर्षक के आवेदन करने वाले प्रकाशक के लिए उपलब्ध होने के बारे में सूचित करना ताकि वह घोषणा कर सके;
- हर साल 31 दिसंबर को या इससे पहले भारत में प्रेस के बारे में सभी उपलब्ध सूचनाओं और आंकड़ों वाली एक रिपोर्ट तैयार करना और सरकार को भेजना जिसमें समाचारपत्रों की प्रसार संख्या के उभरते रुझान दिये गये हों।

(2) गैर–सांविधिक कार्य :

- पंजीकृत समाचारपत्रों की स्वघोषणा को प्रमाणित करना ताकि वे वास्तविक उपयोग करने वाले के तौर पर अखबारी कागज का आयात कर सकें।
- अधिनियम की धारा 19(च) के अंतर्गत अधिकृत समाचारपत्रों की प्रसार संख्या के दावों का सत्यापन।
- विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत नो न्यूजपेपर सर्टिफिकेट जारी करना।

(3) गैर–सांविधिक कार्यों की वर्तमान स्थिति :

- डीजीएफटी द्वारा जारी आदेश सं. 09/2015–2020 दिनांक 3.6.2016 के अनुसार 16.07.2017 से अखबारी कागज के आयात के लिए आरएनआई द्वारा जारी किये जाने वाले पात्रता प्रमाणपत्र के स्थान पर अब स्व–घोषणा प्रमाणपत्र का सत्यापन करता है।
- 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान इस कार्यालय द्वारा अनिवार्यता प्रमाणपत्र (इसेंशिएलिटी सर्टिफिकेट) और नो न्यूजपेपर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया।

शीर्षक सत्यापन

समाचारपत्रों और अन्य आवधिकों का पंजीयन दो चरणों में किया जाता है। पहले चरण में इच्छुक प्रकाशक को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के कार्यालय में शीर्षक सत्यापन के लिए निर्धारित प्रारूप वाले आवेदन पत्र में आवेदन करना होता है। डीएम उस आवेदन को शीर्षक सत्यापन के लिए आरएनआई को भेज देता है। शीर्षक सत्यापित हो जाने के बाद प्रकाशक और/या मुद्रक को संबंधित डीएम के कार्यालय में घोषणा (फार्म–1) जमा करानी होती है। घोषणा के प्रमाणित हो जाने के बाद निर्धारित समय के भीतर प्रकाशन का खंड–1, अंक–1 निकालना होता है। इसके बाद प्रकाशक को पंजीयन प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज आरएनआई को भेजने होते हैं। अगर पंजीयन के लिए पूरे/सही दस्तावेज शीर्षक सत्यापन की तारीख से तय समय सीमा के भीतर नहीं मिलते तो शीर्षक स्वतः डी–ब्लॉक हो जाता है और किसी भी इच्छुक आवेदक के लिए उपलब्ध हो जाता है। जिन शीर्षकों का पंजीयन नहीं हुआ है उन्हें डी–ब्लॉक करने की पहली कार्रवाई 1998 में की गयी जिसमें 1.7 लाख शीर्षकों को डी–ब्लॉक कर दिया गया ताकि कोई उन शीर्षकों को दबाकर न बैठ जाए। 2019–20 में कुल 2,104 शीर्षक डी–ब्लॉक किये गये।

शीर्षक सत्यापन की प्रक्रिया पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 6 की शर्तों से ली गयी है जिसमें कहा गया है कि संबंधित डीएम प्रेस पंजीयक से पूछेगा कि प्रस्तावित समाचारपत्र का शीर्षक ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी राज्य में उसी या किसी अन्य भाषा में प्रकाशित हो रहे किसी समाचारपत्र के शीर्षक के समान हो या उससे मेल खाता हो। इसके लिए शीर्षकों का सत्यापन आरएनआई के दिशानिर्देशों की रूपरेखा के तहत किया जाता है।

आरएनआई पहले सत्यापित किये जा चुके शीर्षकों के डेटा की जांच के बाद ही संबंधित डीएम द्वारा अग्रसारित शीर्षकों का सत्यापन करता है। 1999 में पंजीकरण डेटा के कंप्यूटरीकरण से पहले मैनुअल कार्ड प्रणाली से कार्य होता था। लेकिन कंप्यूटरीकरण से सॉफ्टवेयर आधारित जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। चूंकि पहले सत्यापित किये जा चुके शीर्षकों का डेटा आरएनआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसलिए शीर्षक के लिए आवेदन करने वाले आवेदन से पहले शीर्षकों का जायजा ले सकते हैं। जुलाई 2014 से वेबसाइट पर डीएम को संबोधित शीर्षक सत्यापन पत्र और आवेदक को पृष्ठांकित उसकी प्रति का प्रारूप डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। 2014 में शीर्षक आवेदन ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा भी आरएनआई वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गयी है। ऑनलाइन आवेदन भरकर उसका प्रिंटआउट आरएनआई को अग्रसारित करने के लिए संबंधित डीएम को भेजा जाता है।

2019–20 में शीर्षक सत्यापन के लिए 11,977 आवेदन प्राप्त हुए और 3,273 का सत्यापन किया गया।

विदेशी प्रकाशनों के भारतीय/प्रतिरूप संस्करण

सरकार की प्रिंट मीडिया नीति में 2002 में संशोधन किया गया और 2002 तथा उसके बाद निम्नलिखित बदलाव किए गए :

(क) विदेशी स्वामित्व वाली वैज्ञानिक, तकनीकी और विशेषज्ञता वाली पत्र–पत्रिकाओं/जर्नल/आवधिकों (यानी जिनका संबंध समाचार और समसामयिक विषयों से नहीं है) के भारतीय संस्करणों के भारत में प्रकाशन की इजाजत दे दी गयी है। लेकिन यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विशेष सिफारिश पर प्रत्येक मामले में गुण–दोष के आधार पर विचार करने के बाद ही दी जाती है।

(ख) वैज्ञानिक/तकनीकी और विशेषज्ञता वाली पत्रिकाएं/आवधिक/जर्नल प्रकाशित करने वाली भारतीय कंपनियों में 70 प्रतिशत (2005 में बढ़कर 100 प्रतिशत हो चुकी है) तक विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समेत) की इजाजत दे दी गयी है।

(ग) समाचार और समसामयिक विषयों से संबंधित समाचारपत्र और पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाली भारतीय कंपनियों में मान्यता प्राप्त विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कुल मिलाकर इक्विटी पूंजी के 26 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (जिसमें प्रवासी भारतीयों और विदेशी भारतीय नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी शामिल है) और पोर्टफोलियो निवेश (2005 में)। उन्हीं विदेशी कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ इस तरह के निवेश की इजाजत होगी जिनकी पुख्ता पृष्ठभूमि और अंतर्राष्ट्रीय छवि होगी।

(घ) भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी समाचारपत्रों के प्रतिरूप संस्करणों (2005 में) का विदेशी निवेश से या बिना विदेशी निवेश के पूरा या आंशिक प्रकाशन, या मौलिक समाचारपत्र के स्वामित्व वाली विदेशी कंपनियों द्वारा इस तरह से प्रकाशन किया जा सकेगा, बशर्ते वे निगमित होकर ऐसा करें और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में अपना पंजीकरण करा लें।

आरएनआई विदेशी प्रकाशन के भारतीय/प्रतिरूप संस्करण के लिए शीर्षक का सत्यापन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 10/34/2004–प्रेस दिनांक 16 जून, 2004 और सं. 10/28/2007–प्रेस दिनांक 13 जून, 2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार करता है।

पंजीयन प्रमाणपत्र

किसी प्रकाशन के पंजीयन की प्रक्रिया उसके शीर्षक के सत्यापन के बाद शुरू होती है। शीर्षक का सत्यापन हो जाने के बाद उसके प्रकाशक को संबंधित डीएम द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित घोषणापत्र, अधिनियम के अनुसार घोषणापत्र के अभिप्रमाणन के बाद निश्चित अवधि में प्रकाशित प्रथम अंक की एक प्रति के साथ जमा कराना होता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि पत्र–पत्रिका को पीआरबी अधिनियम, 1867 के विभिन्न प्रावधानों और उसके अंतर्गत नियमों का पालन करते हुए छापा गया है, उसे एक पंजीयन संख्या दे दी जाती है और आरएनआई के रजिस्टर में प्रविष्टियां कर दी जाती हैं। इसके बाद प्रेस पंजीयक प्रकाशक को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करते हैं। 2019–20 के दौरान आरएनआई ने 1498 नये पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किये।

पंजीयन संख्या क्रम संख्या/वर्ष के रूप में जारी की जाती थी। इसकी शुरुआत 1/57 नंबर से हुई और यह पंजीयन संख्या पंजाब से प्रकाशित 'विश्व ज्योति' को दी गई। पंजीयन संख्या 72557/99 तक जारी की गई थी। डेटा के कंप्यूटरीकृत होने के बाद राज्य और भाषा के कोड वाली पंजीयन संख्या शुरू की गयी। इस शृंखला की पहली पंजीयन संख्या 72558 'राष्ट्रीय हिंदी मेल' को जारी की गई और नयी पद्धति से इसकी पंजीयन संख्या सीएचएचएचआईएन/1998/00001 है।

पंजीयन का रिकॉर्ड रखना

पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19(ख) के अनुसार प्रेस पंजीयक से अपेक्षा की गई है कि वे निर्धारित तरीके से समाचारपत्रों का एक रजिस्टर बनाएंगे। आरएनआई कार्यालय में इस तरह का रजिस्टर तैयार किया गया है जिसमें दो पृष्ठ वाले प्रारूप में 1976 में जारी पंजीयन संख्या 28734 तक की प्रविष्टियां हैं। इसके बाद का रिकॉर्ड एक ही पृष्ठ वाले प्रारूप में है। 1999 में मौजूदा पंजीयन डेटा का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया और अप्रैल 2007 से कंप्यूटर से तैयार पंजीयन प्रमाणपत्र की कार्यालय प्रति को ही रिकॉर्ड के रूप में रखा जा रहा है। इस तरह की पहली पंजीयन संख्या 'बांकुड़ार मुख' (पंजीयन संख्या डब्लूबीबीईएन/2004/19101) को दी गयी है।

संशोधित पंजीयन प्रमाणपत्र

पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 5 (2घ, 2ड., 3 और 7) के अनुसार किसी प्रकाशन के स्वामित्व, प्रकाशन, मुद्रक, भाषा, आवधिकता, प्रकाशन स्थान, मुद्रण स्थान के बदलने और एक साल के बाद फिर से प्रकाशन शुरू करने पर पहले की गयी घोषणा निष्प्रभावी हो जाती है। ऐसे सभी मामलों में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संशोधित घोषणा को प्रमाणित कर दिये जाने के बाद प्रकाशक द्वारा वांछित दस्तावेज जमा कराने पर आरएनआई संशोधित पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करता है।

शीर्षक को सामान्य कानून के अंतर्गत 'संपत्ति' माना जाता है और इसे अन्य संपत्तियों की तरह हस्तांतरित या उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी की मृत्यु होने पर शीर्षक स्वामी के कानूनी प्रतिनिधि को या दिवालिया होने पर अधिकारिक भागीदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक पंजीकृत शीर्षक का अधिकार 'अमूर्त संपत्ति' की तरह हस्तांतरणीय है। स्वामित्व के हस्तांतरित होने पर नयी घोषणा के साथ मजिस्ट्रेट द्वारा विलेख प्रमाणन भी आवश्यक है।

शीर्षक सत्यापन और पंजीयन की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय के गठन से अब तक कई परिवर्तन हुए हैं जिनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इसके कामकाज और प्रणालियों का कंप्यूटरीकरण। आरएनआई ने अपनी विभिन्न गतिविधियों, जैसे शीर्षक आवंटित करने, अखबारों के पंजीयन, 'भारत के समाचारपत्र' प्रकाशित करने और अन्य कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्थापित किया है। शीर्षक सत्यापन और पंजीयन की प्रक्रिया को कम्प्यूटर आधारित बनाने के अलावा सभी सत्यापित शीर्षकों और पंजीयन विवरण को आरएनआई की वेबसाइट www.rni.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है जिसे समय–समय पर अपडेट किया जाता है। नवीनतम सुविधाओं के सार्वजनिक रूप में उपलब्ध होने से कोई भी व्यक्ति/भावी प्रकाशक मौजूदा शीर्षकों को देख सकता है। इस संबंध में विवरण राज्य/भाषावार उपलब्ध है। एनआईसी की सहायता से आरएनआई में रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक के माध्यम से इंटरनेट संपर्क उपलब्ध कराया गया है। इससे सबसे आखिरी छोर पर स्थित उपयोक्ताओं को शीर्षक या पंजीयन के लिए अपने आवेदन पर हुई कार्रवाई के बारे में ऑनलाइन जानकारी हासिल करने की सुविधा मिल गयी है। शीर्षक पत्र, कमियां दर्शाने वाला पत्र और पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति आरएनआई वेबसाइट से डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध हो गयी है। आरएनआई की उपयोगकर्ताओं के लिए आसान नई वेबसाइट www.rni.nic.in 1 जून, 2018 को शुरू की गई थी।

वार्षिक विवरण

पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19(घ) के अनुसार समाचारपत्रों के रजिस्ट्रीकरण (केंद्रीय) नियम, 1956 के अनुसार अखबारों के प्रकाशकों के लिए हर साल मई के अंत तक फार्म–II में वार्षिक विवरण प्रेस पंजीयक को भेजना आवश्यक है। इसमें नियमानुसार विभिन्न वांछित सूचनाएं देना भी जरूरी है। प्रत्येक प्रकाशक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह हर साल अपने प्रकाशन में पत्र–पत्रिका के स्वामित्व की जानकारी देने वाली और अन्य प्रासंगिक सूचनाएं फार्म–IV में फरवरी के आखिरी दिन के बाद के पहले अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करे।

प्रकाशक द्वारा जमा किया गया वार्षिक विवरण ही वह दस्तावेज है जिसके आधार पर आरएनआई देश में प्रेस की स्थिति दर्शाने वाले आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण करता है। इसी को 'भारत के समाचारपत्र' नाम की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाता है।

देखा गया है कि बहुत से प्रकाशक वार्षिक विवरण जमा नहीं कराते। आरएनआई पर देश में प्रिंट मीडिया का विश्लेषण केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व है, इसलिए प्रकाशकों के लिए अपने वार्षिक विवरण आरएनआई कार्यालय को निर्धारित तारीख, यानी हर साल 31 मई तक भेजना जरूरी है। प्रिंट मीडिया का विश्वसनीय और समग्र अभिलेखन तथा विश्लेषण तभी संभव हो पाएगा जब प्रकाशक इस कार्य में पूरा सहयोग देंगे। 2013–14 में पहली बार शत–प्रतिशत वार्षिक विवरण ऑनलाइन प्राप्त किये गये और उनकी संख्या 19,660 थी। 2019–20 में 32,883 वार्षिक विवरण ऑनलाइन जमा किए गए जिनमें 203 विविध प्रकाशनों के वार्षिक विवरण भी शामिल थे।

भारत के समाचारपत्र

पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19(छ) में कहा गया है कि प्रेस पंजीयक हर साल निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित समय पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें भारत में प्रकाशित हो रहे समाचारपत्रों के बारे में पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त सूचनाओं के सारांश को शामिल किया जाएगा। इस रिपोर्ट में समाचारपत्रों के काम–काज का विवरण भी दिया जाएगा और इस रिपोर्ट की प्रतियां केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी। इस प्रकार की पहली रिपोर्ट 'प्रेस इन इंडिया 1956' 30 अप्रैल, 1957 को पहले प्रेस पंजीयक श्री एम.एल. भारद्वाज ने प्रस्तुत की थी। इसमें जुलाई से दिसंबर 1956 तक की छह महीने की अवधि को ही शामिल किया गया था। इसमें देश भर में 1 जुलाई, 1956 तक प्रकाशित हो रहे करीब 6,000 प्रकाशकों से पत्राचार के बाद प्राप्त हुई सूचनाओं को संकलित कर प्रस्तुत किया गया था। इसके लिए प्रकाशकों को 'तथ्यात्मक विवरण' नाम का प्रारूप भेजा गया और उनसे उसमें सूचनाएं भरकर लौटाने का अनुरोध किया गया। उस समय प्रकाशित हो रहे समाचारपत्रों के बारे में राज्य सरकारों से भी सूचनाएं एकत्र की गयीं। रिपोर्ट के पहले अध्याय 'भूमिका' के अंत में कही गयी यह बात उचित ही है कि यह रिपोर्ट व्याख्यात्मक न होकर अन्वेषणात्मक अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1 जुलाई, 1956 को देश में 6,407 समाचारपत्र प्रकाशित हो रहे थे जिनकी संख्या 31 दिसंबर, 1956 को बढ़कर 6,570 हो गयी।

तब से समाचारपत्र रजिस्ट्रीकरण (केंद्रीय) नियम, 1956 के नियम 6(1) के अंतर्गत 'भारत के समाचारपत्र' (प्रेस इन इंडिया) का प्रकाशन हर साल किया जा रहा है। पहली 'प्रेस इन इंडिया' एक खंड में प्रकाशित की गयी, लेकिन उसके बाद हर साल इसे दो खंडों में प्रकाशित किया जा रहा है। पहला खंड प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों के अध्ययन और विश्लेषण पर आधारित होता है जबकि दूसरा खंड देश में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों की सूची है। दो खंड प्रकाशित करने का सिलसिला बीच में बंद कर दिया गया था लेकिन अब इसे फिर से दो खंडों में छापा जा रहा है। 2013–14 से 'भारत के समाचारपत्र' को डिजिटल फॉर्मेट यानी सीडी के रूप में भी निकाला जा रहा है और आरएनआई की वेबसाइट (www.rni.nic.in) पर भी उपलब्ध रहता है।

प्रसार संख्या के दावे की जांच और सत्यापन

पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19(घ) के अंतर्गत प्रकाशकों द्वारा भेजे गये वार्षिक विवरण में समाचारपत्रों की प्रसार संख्या के विवरण के साथ इसका भी उल्लेख होगा :

(क) प्रत्येक प्रकाशन दिवस पर मुद्रित प्रतियों की औसत संख्या;

(ख) बिकी हुई प्रतियों की औसत संख्या और मुफ्त बांटी गयी प्रतियों की संख्या जिसमें मानद प्रतियों की संख्या, वाउचर, एक्सचेंज, बोनस, सैंपल और कार्यालय प्रतियां भी शामिल हैं।

अगर प्रसारित प्रतियों की संख्या 2,000 से अधिक हो तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रशिक्षित ऑडिटर से प्रकाशक के विवरण को सत्याापित/प्रमाणित कराना जरूरी है। लेकिन निःशुल्क पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाली शिक्षा संस्थाओं, धर्मार्थ समितियों या संस्थाओं को, जो आम तौर पर अपने सदस्यों के लिए निःशुल्क प्रकाशन करती हैं, विवरणों को भेजने से छूट होगी।

पीआरबी अधिनियम, 1867 की धारा 19(च) में प्रावधान किया गया है कि प्रेस पंजीयक या उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी इस नियम के अधीन किसी समाचारपत्र से संबंधित किसी जानकारी के संग्रहण के प्रयोजन से किसी भी सुसंगत अभिलेख या दस्तावेज को, जो उसके प्रकाशक के पास है, जाकर देख सकेगा और किसी भी उचित समय में किसी ऐसे भवन में प्रवेश कर सकेगा जहां ऐसा अभिलेख या दस्तावेज होने का उसे विश्वास है और सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा या उनकी प्रतियां ले सकेगा या इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली कोई अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा।

आरएनआई अब 2020 की प्रिंट मीडिया नीति के अनुसार यानी प्रति प्रकाशन दिवस 25,000 से अधिक प्रतियां छापने वाले समाचारपत्रों की प्रसार संख्या का सत्यापन प्रकाशकों के अनुरोध पर या शिकायत के सिलसिले में कर रहा है। इसके अलावा लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी– जिसे पहले डीएवीपी के नाम से जाना जाता था) द्वारा भेजे गये मामलों में भी प्रसार संख्या का सत्यापन कर रहा है।

प्रसार संख्या की जांच करना विशेषज्ञता का कार्य है। इसमें प्रकाशनों के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में सहायता के लिए सीएजी/एबीसी/आरबीआई द्वारा पैनलबद्ध सीए/ऑडिटरों की सेवाएं ली जाती हैं और उन्हें इसके लिए आरएनआई द्वारा मानदेय दिया जाता है। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विधि मंत्रालय के परामर्श के बाद स्वीकृत प्रस्ताव के अनुरूप है। मंत्रालय के दिनांक 14.07.2016 और दिनांक 01.09.2017 के आदेश के अनुसार पीआईबी/डीएफपी के अधिकारियों को अपर प्रेस पंजीयक, उप प्रेस पंजीयक, सहायक प्रेस पंजीयक और पंजीयन पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया गया है। इससे प्रकाशकों को बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि अब वे अपनी प्रसार संख्या के अपने दावों के सत्यापन के लिए पीआईबी के स्थानीय/क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

प्रसार संख्या के सत्यापित आंकड़ों से प्रकाशकों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और रियायतों का फायदा उठाने में मदद मिलती है। सत्यापित प्रसार संख्या केंद्र और राज्य सरकारों के विज्ञापनों की दरों को निर्धारित करने का आधार है। इसी के आधार पर विज्ञापन दरों का निर्धारण किया जाता है और इसी से प्रेस प्रमाणन के लिए पात्रता पर भी विचार किया जाता है।

आरएनआई के अधिकारी संबंधित रिकॉर्ड और अवसंरचना की पुष्टि के लिए समाचारपत्रों और पत्र–पत्रिकाओं के परिसरों की मौके पर जांच भी करते हैं, जिससे प्रसार के सही आंकड़े मिलें और बढ़ा–चढ़ाकर किए गए दावे (यदि हो) खारिज हों।

अखबारी कागज (नीति और दिशानिर्देश)

आरएनआई 16.07.2017 से पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने की बजाय वास्तविक उपयोग करने की शर्त के आधार पर पंजीकृत प्रकाशनों को अखबारी कागज के आयात के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की निर्यात–आयात नीति के आधार पर स्वघोषणा प्रमाणपत्र को अभिप्रमाणित करता है।

इस नीति की शर्तें इस प्रकार हैं :–

''एग्जिम कोड हैडिंग 4801 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को इस शर्त के साथ बिना आयात लाइसेंस के मंगाने की इजाजत होगी कि इनका इस्तेमाल ऐसे वास्तविक उपयोग करने वाले ही करेंगे, जिनके पास नई दिल्ली स्थित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आरएनआई द्वारा जारी 'पंजीयन प्रमाणपत्र' होगा। वे आयात के समय आरएनआई द्वारा विधिवत सत्यापित दस्तावेजों से सीमा शुल्कं अधिकारियों को आश्वस्त कर आयात का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आयात करने वाले को ऑडिट किया गया वार्षिक विवरण भी प्रस्तुत करना होगा जिसमें उपयोग किये गये अखबारी कागज की मात्रा और मूल्य, पिछले (लाइसेंसिंग) वर्ष में आयातित अखबारी कागज की मात्रा की जानकारी हर साल 30 अप्रैल तक भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को देनी होगी। इस घोषणा का प्रारूप और वार्षिक विवरण तथा अन्य दिशानिर्देश वही होंगे जिनकी घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने समय–समय पर की है।''

अखबारी कागज को अप्रैल 1992 से सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयात करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया लेकिन आरएनआई को सरकार की अखबारी कागज आयात नीति के अनुसार पात्रता/योग्यता प्रमाणपत्र जारी रखने को कहा गया। सरकार की उदारीकरण की नीति के तहत अखबारी कागज को वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3 (आरई–95) 92–97 दिनांक 30.04.1995 के अनुसार खुला सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा गया। इससे पंजीकृत समाचारपत्रों के लिए स्टैंडर्ड और ग्लेज्ड किस्म के अखबारी कागज का आयात बिना रोकटोक हो गया। यह आदेश 1995 और 1996 के दौरान लागू रहा। इसके बाद उदारीकृत अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य में वाणिज्य मंत्रालय ने सार्वजनिक अधिसूचना सं. 22(आरई–96) 92–97 दिनांक 29.01.1997 के जरिए नयी नीति शुरू की और उसके बाद 05.03.1997 को इसमें संशोधन किये गये। इसमें कहा गया है कि वास्तविक उपयोग करने वाले की स्थिति में बिना किसी आयात लाइसेंस के ऐसे लोगों को अखबारी कागज के आयात की अनुमति होगी जिनके पास आरएनआई द्वारा जारी किया गया 'पंजीयन प्रमाणपत्र' होगा। उसके आधार पर आरएनआई ने अखबारी कागज के आयात के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र का सत्यापन करना शुरू किया।

इसके अलावा वर्ष 1999 में अखबारी कागज संबंधी नीति और दिशानिर्देशों में थोड़ा–सा बदलाव सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सार्वजनिक अधिसूचना सं. 601/1/99–पॉलिसी, दिनांक 26 फरवरी, 1999 के जरिए किया गया

और ''पंजीयन प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए जारी दिशानिर्देश'' के स्थान पर ''पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश'' कर दिया गया है। वर्तमान आयात नीति सरकार की 1997 की अखबारी कागज आयात नीति पर आधारित थी जो वास्तविक उपयोगकर्ताओं द्वारा आयात किये जाने वाले अखबारी कागज पर मात्रा संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। वर्ष 2006–07 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वार्षिक विवरण के प्रारूप में संशोधन किया जिसमें अखबारी कागज के आयात और खपत का ब्योरा दिया जाता था। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान आयात किए गए अखबारी कागज और चालू वित्त वर्ष में आयात किए जाने वाले अखबारी कागज की प्रस्तावित मात्रा का विवरण दर्शाता एक शपथपत्र लाया गया। पात्रता प्रमाणपत्र का प्रारूप भी बदल दिया गया। आयात की मात्रा शपथपत्र में दिए गए आंकड़ों पर आधारित होती थी जिसमें प्रकाशक को पिछले दो वर्षों के दौरान अखबारी कागज की खपत और चालू साल के लिए प्रस्तावित मात्रा के बारे में बताना होता था।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नीतियों/दिशानिर्देशों (अधिसूचना सं. 29, दिनांक 28.01.2004) में और संशोधन किए हैं, जिसके अंतर्गत आरएनआई को अर्धवार्षिक विवरण भेजने की बजाय वार्षिक विवरण भेजना होगा। दिशानिर्देशों की प्रति और वर्तमान अखबारी कागज आयात नीति के साथ–साथ ताजा संशोधन, आवेदन पत्र आदि आरएनआई की वेबसाइट www.rni.nic.in पर उपलब्ध हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आगे भी नीतियों/दिशानिर्देशों (डीजीएफटी द्वारा जारी अधिसूचना सं. 09/2015–2020 दिनांक 03.06.2016) में संशोधन किए थे।

आईटीसी (एचएस), 2012 के अध्याय 48 की मौजूदा नीति संबंधी शर्त सं. 2, अनुसूची–1 (आयात नीति) इस प्रकार है :

''एग्जिम कोड हैडिंग 4801 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को इस शर्त के साथ बिना आयात लाइसेंस के मंगाने की इजाजत होगी कि इनका इस्तेमाल ऐसे वास्तविक उपयोग करने वाले ही करेंगे, जिनके पास नई दिल्ली स्थित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आरएनआई द्वारा जारी 'पंजीयन प्रमाणपत्र' होगा। वे आयात के समय आरएनआई द्वारा विधिवत सत्यापित दस्तावेजों से सीमा शुल्क अधिकारियों को आश्वस्त कर आयात का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आयात करने वाले को ऑडिट किया गया वार्षिक विवरण भी प्रस्तुत करना होगा जिसमें उपयोग किये गये अखबारी कागज की मात्रा और मूल्य, पिछले (लाइसेंसिंग) वर्ष में आयातित अखबारी कागज की मात्रा की जानकारी हर साल 30 अप्रैल तक भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को देनी होगी। इस घोषणा का प्रारूप और वार्षिक विवरण तथा अन्य दिशानिर्देश वही होंगे जिनकी घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने समय–समय पर की है।''

इस अधिसूचना का प्रभाव : आरएनआई का पंजीयन प्रमाणपत्र रखने वाले वास्तविक उपयोगकर्ता एक्जिम कोड हैडिंग–4801 के तहत आने वाली वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आयात के समय घरेलू उपयोग या भंडारण संबंधी उस वस्तु का बिल ऑफ एंट्री जमा कराना होता है। आरएनआई आयात किये जाने वाले अखबारी कागज की मात्रा का निर्णय नहीं करता।

नो न्यूजपेपर सर्टिफिकेट

'नो न्यूजपेपर सर्टिफिकेट' विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत उन पंजीकृत प्रकाशकों को जारी किया जाता है जो इस आशय का हलफनामा देते हैं कि उनके प्रकाशन में समाचार और विचार वाली कोई सामग्री नहीं छपती है इसलिए उनका प्रकाशन समाचारपत्र की श्रेणी में नहीं आता। उन्हें इस प्रमाणपत्र की आवश्यकता विदेशी अंशदान स्वीकार करने की अनुमति लेते वक्त गृह मंत्रालय में जमा करने के लिए पड़ती है। वित्त वर्ष 2019–20 में इस तरह का कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया।

आरएनआई की उपलब्धियां और प्रकाशकों के लिए सुविधाएं

पिछले तीन वर्षों में आरएनआई की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

क) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति से आरएनआई को प्रकाशकों की सुविधा के लिए कुछ एप्लिकेशन तैयार करने में सहायता मिली है। इसी तरह का एक एप्लिकेशन है शीर्षक सत्यापन और पंजीयन के मामलों से संबंधित

सारा ब्योरा सार्वजनिक रूप से देखने के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर देना। इससे प्रकाशकों को शीर्षक के लिए अपने आवेदन और पंजीकरण की ताजा स्थिति की जानकारी तत्काल प्राप्त हो जाती है।

ख) आरएनआई आवेदकों को शीर्षक और पंजीयन के लिए उनके आवेदनों की स्थिति के बारे में एसएमएस और ई–मेल से नियमित सूचना भेजता है।

ग) आरएनआई का पूछताछ से संबंधित सूचनाएं देने वाला प्रकोष्ठ (पीक्यूआरसी) पहले से चालू है जिसका ई–मेल पता pqrc-rni@nic.in है। इसके माध्यम से शीर्षक सत्यापन, पंजीयन आदि से संबंधित प्रकाशकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है। इससे देश के दूर दराज इलाकों में रहने वालों को बड़ी मदद मिली है क्योंकि उन्हें अपनी शिकायतों का समाधान करवाने के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ता।

घ) वार्षिक विवरणों को ई–फाइल करने की योजना पर तेजी से अमल किया जा रहा है।

ड.) शीर्षक के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को 01.03.2015 से ऑनलाइन कर दिया गया है।

च) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सुविधा और दस्तावेज की विस्तृत जांच को आसान बनाने हेतु केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई स्थापित की गयी है।

छ) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय सूचना भवन में स्थानांतरित कर दिया गया ताकि अन्य मीडिया इकाइयों के साथ बेहतर तालमेल कायम हो सके और आरएनआई मुख्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जा सके।

ज) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अखबारी कागज के आयात के लिए पात्रता प्रमाणपत्र के स्थान पर स्व–घोषणा के सत्यापन की व्यवस्था लागू की गयी है।

झ) प्रसार संख्या के सत्यापन और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को विकेंद्रित किया गया है और इसके लिए पीआईबी की क्षेत्रीय इकाइयों को अधिकार अंतरित किये गये हैं जिससे प्रकाशकों को और सुविधा हो गयी है।

(ञ) प्रकाशकों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से देखने के लिए आरएनआई में एक टोकन प्रणाली विकसित की गई।

(ट) अपना वार्षिक विवरण जमा करने हेतु और प्रकाशकों को प्रोत्साहित करने के लिए जनवरी 2020 में एक विशेष अभियान चलाया गया। परिणामस्वरूप लगभग तीन हजार नए वार्षिक विवरण जमा हुए।

(ठ) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के बदले संशोधित विधेयक हितग्राहियों के परामर्श हेतु प्रस्तुत किया गया।